न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 1539–दो/2002 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 11–6–2002 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 423/1999–2000 अपील

दशरथ (मृतक) पुत्र शीतल
वारिस
बीरबल प्रसाद पुत्र स्व.दशरथ
ग्राम बसपतीपुर तहसील बाडफपगा जिला सरगुजा ---आवेदक

विरूद्ध

1– महिला अमरावती 2– महिला लीलावती
पुत्रियां स्वर्गीय झगडू ग्राम गहिलरा तहसील
सिंगरोली तत्का.जिला सीधी वर्तमान जिला सिंगरोली --अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री ए.के.अग्रवाल)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 11 – 8–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र0क0 423/1999–2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 11–6–2002 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम पिठरा स्थित कुल किता 4 कुल रकबा 1.35 हैक्टर का झगडू कुर्मी भूमिस्वामी था जिसकी मृत्यु उपरांत अनावेदक कमांक 1 ने तहसीलदार सिंगरोली के समक्ष फोती नामान्तरण का आवेदन दिया। इसी भूमि के सम्बन्ध में आवेदक ने मृतक खातेदार का भाई होने एंव बसीयत होने के आधार तथा नारायण प्रसाद ने बसीयत के आधार पर आवेदन प्रस्तुत

कर नामान्तरण की मांग की । नायव तहसीलदार सिंगरोली ने सभी आवेदन संकलित कर प्रकरण कमांक 38 अ-6/97-98 में सुनवाई की एंव आवेदक की बसीयतनामा प्रमाणित होना मनकर आदेश दिनांक 18-10-99 पारित किया तथा आवेदक का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली ने प्रकरण कमांक 5/88-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-5-2000 से अपील अस्वीकार की। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र0क0 423/ 1999-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-6-2002 अनुविभागीय अधिकारी एंव नायव तहसीलदार के आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की एंव अनावेदकगण का वारिसाना हक पर नामान्तरण कराने का अधिकार माना। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आये तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदक के हित में हुई दिनांक 31-12-92 को हुई बसीयत में उल्लेखित इवारत का जब आदेश दिनांक 11-6-2002 में अपर आयुक्त रीवा ने परीक्षण किया है आदेश में इस प्रकार अंकन है -

" मेरे कोई भी संतान नहीं है और न निकट भविष्य में होने की कोई संभावना है । मेरे बुढ़ापे में मेरी परिवरिश तथा मेरा सेवा सत्कार बसीयतग्रहीता (उत्तरवादी क-1) दशरथ तनय शीतलप्रसाद कुर्मी ग्राम बंसपतीपुर कर रहे हैं इसलिये में अपनी उक्त जायदाद बसीयतग्रहीता को बसीयत कर एतद्दारा संबिदा करता हूँ "

जब अनावेदकगण मृतक भूमिस्वामी झगडू की पुत्रियां होकर बसीयत के समय मौजूद थी एंव बसीयत में बसीयतकर्ता झगडू ने कोई भी संतान न होना कैसे लिखाया हैं - बसीयत संदेहास्पद है इसलिये अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 423/ 1999-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-6-2002 से नायव तहसीलदार द्वारा आवेदक की बसीयत प्रमाणित मानकर आवेदक के हित में दिया गया नामान्तरण आदेश दिनांक 18-10-99 को एंव अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली द्वारा नायव तहसीलदार के आदेश को पुष्टीकृत करने हेतु पारित आदेश दिनांक 20-5-2000 को निरस्त किया है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र0क0 423/ 1999-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-6-2002 में दोष न होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 423/ 1999-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-6-2002 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता हैं।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर